



Neutral Citation No. - 2026:AHC:6654

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 443 वर्ष 2026

वसीम अंसारी आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य विपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता : करुणेश प्रताप सिंह

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है।
2. श्री करुणेश प्रताप सिंह, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा श्री सुनील कुमार, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक ने मुकदमा अपराध संख्या 212 वर्ष 2025, धारा 103(1), 115(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना - झंगहा, जिला - गोरखपुर में, विचारण के लम्बित रहने के दौरान जमानत की प्रार्थना की है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त सरवर अंसारी को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 24382 वर्ष 2025 में दिनांक 13.8.2025 को पारित आदेश द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का प्रकरण उक्त सह-अभियुक्त के समकक्ष होने के कारण, वह भी समानता के आधार पर जमानत पाने का अधिकारी है।
5. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि आवेदक दिनांक 4.5.2025 से कारागार में निरुद्ध है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।



6. जमानत की प्रार्थना का विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा कड़ा विरोध किया गया है। तथापि, सह-अभियुक्त के साथ समानता तथा आवेदक के कोई आपराधिक इतिहास न होने के उक्त तथ्यात्मक पहलुओं को उनके द्वारा विवादित नहीं किया गया है।
7. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य, लम्बित विचारण एवं इस न्यायालय द्वारा नन्हा पुत्र नब्बन खां बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1993 Cri.L.J. 938 में पारित निर्णय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा परस राम विष्णोई बनाम निदेशक, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, MANU/SCOR/22410/2021 एवं सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम केन्द्रीय जांच ब्यूरो एवं अन्य, (2022) 10 एससीसी 51 में पारित निर्णयों के आलोक में विचार करते हुए, प्रकरण के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, न्यायालय का मत है कि आवेदक इस प्रकरण में जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है। जमानत आवेदन समानता के आधार पर स्वीकार किया जाता है।
8. आवेदक **वसीम अंसारी**, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलका तथा दो जमानतदार, प्रत्येक समान राशि में, प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी किए जाने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।
 - (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (ii) आवेदक अभियोजन के साक्षियों को दबाव में नहीं लेगा / उन्हें भयभीत नहीं करेगा।
 - (iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
9. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।
10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करने में किए गए अवलोकन किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने से प्रभावित नहीं करेंगे।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

12 जनवरी, 2026

सिद्धांत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।